भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3615
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीब लोगों को पक्के मकान

3615. श्री छोटेलाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास ' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि मार्च, 2029 तक 4.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। दिनांक 12.12.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 3.33 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिनमें से 3.22 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 2.68 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों को लक्षित है जो वास्तव में वंचित हैं और चयन निष्पक्ष और सत्यापन योग्य है , पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और अंतिम रूप दी गई आवास+ (2018) सर्वेक्षण सूचियों (अपडेशन के बाद) से की जाती है। एसईसीसी डेटा परिवारों में आवास से संबंधित

विशिष्ट वंचन को दर्ज करता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए आवासहीन और कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले आवासों वाले 0, 1 और 2 कमरे में रहने वाले परिवारों की पहचान की गई है और उन्हें लक्षित किया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मानदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और एक अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के तहत अगले 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **"स्व-सर्वेक्षण विकल्प"** शुरू किया है , जिसमें पहुंच को व्यापक बनाया गया है और सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीछे न छूट जाए। इसके अलावा , समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, मशीनीकृत दुपहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौका , लैंडलाइन फोन और रेफ्रिजरेटर के संबंध में बहिर्वेशन मानदंड को हटा दिया गया है। इसके अलावा , आय मानदंड को भी 10000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया गया है और भूमि संबंधी मानदंडों को सरल बनाया गया है।

(ग): वर्ष 2022-23 के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 23,22,614 आवासों का कुल लक्ष्य आवंटित किया गया था और कुल 57,72,940 आवासों (पिछले वर्षों के लक्ष्य से आवासों को पूरा करने सहित) का निर्माण पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा , पीएमएवाई-जी के लिए 48,422 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था और केंद्रीय अंश के रूप में 44,962 करोड़ रुपए की निधि जारी की गयी थी और उपयोग 57,952.60 करोड़ रुपए था।

*****